


झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक, 2024



सत्यमेव जयते

2024

# झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक, 2024

## विषय सूची

धाराएँ ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. 2024-25 वर्ष के लिये झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 11697,45,00,000 (ग्यारह हजार छः सौ सतानवे करोड़ पैंतालीस लाख) रुपये की निकासी ।
3. विनियोग ।

अनुसूची ।

## झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक, 2024

झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के निमित्त विधेयक ।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ -
  - (i) यह अधिनियम झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) अधिनियम, 2024 कहा जा सकेगा ।
  - (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा ।
  - (iii) यह 1ली अप्रैल, 2024 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।
2. 2024-25 वर्ष के लिए झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 11697,45,00,000 (ग्यारह हजार छः सौ संतानवे करोड़ पैंतालीस लाख) रुपये की निकासी ।- झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के बारे में, 1ली अप्रैल, 2024 को शुरू होनेवाले वर्ष में भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्ययों की पूर्ति के लिए कुल 11697,45,00,000 (ग्यारह हजार छः सौ संतानवे करोड़ पैंतालीस लाख) रुपये, जो अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशियों से अधिक न होंगे, निकासी की जा सकेगी ।
3. विनियोग ।- इस अधिनियम के द्वारा झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशियां 1ली अप्रैल, 2024 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष से 31वीं मार्च, 2025 तक संबंधित अनुसूचियों में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और उनके संबंध में विनियोजित की जायेगी ।

## अनुसूची / Schedule

( धाराएं 2 और 3 देखें / See Article 2 &amp; 3 )

मांग/विनियोग Demand/ Appropriation	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग / Services of Demand or Appropriation	राजस्व/पूंजी Revenue/ Capital	अनाधिक राशियां / Amount not to exceed		
			झारखंड विधान सभा द्वारा दिए गए अनुदान / Grants approved by the Jharkhand Assembly	राज्य की संचित निधि पर प्रभृत / Charged on the State Consolidated Fund	योग / Total
			मतदेय/Voted	प्रभृत/Charged	
1	2	3	4	5	6
1	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Agriculture Division)	राजस्व/Revenue	4454000		4454000
		पूंजी/Capital			
2	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Animal Husbandry Division)	राजस्व/Revenue	50910000		50910000
		पूंजी/Capital			
4	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग) Cabinet Secretariat and Vigilance Department (Cabinet Secretariat and Co-ordination Division)	राजस्व/Revenue	613714000		613714000
		पूंजी/Capital			
5	राज्यपाल सचिवालय Secretariat of the Governor	राजस्व/Revenue		1300000	1300000
		पूंजी/Capital			
6	मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग Cabinet (Election) Department	राजस्व/Revenue	1231100000		1231100000
		पूंजी/Capital			
7	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग) Cabinet Secretariat and Vigilance Department (Vigilance Division)	राजस्व/Revenue	3290000		3290000
		पूंजी/Capital			
8	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग) Cabinet Secretariat and Vigilance Department (Civil Aviation Division)	राजस्व/Revenue	200000		200000
		पूंजी/Capital			

9	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Co-operative Division)	राजस्व/Revenue	2500641000		2500641000
		पूंजी/Capital			
10	ऊर्जा विभाग Energy Department	राजस्व/Revenue	25779221000		25779221000
		पूंजी/Capital			
11	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग Excise and Prohibition Department	राजस्व/Revenue	6670000		6670000
		पूंजी/Capital			
12	वित्त विभाग Finance Department	राजस्व/Revenue	42042000		586542000
		पूंजी/Capital	544500000		
13	ब्याज संदाय Interest Payment	राजस्व/Revenue		<b>1126026800</b>	1126026800
		पूंजी/Capital			
14	ऋण की वापसी/अदायगी Repayment of Loans	राजस्व/Revenue			170000000
		पूंजी/Capital		<b>170000000</b>	
16	वित्त अंकेक्षण Finance Audit	राजस्व/Revenue	413000		413000
		पूंजी/Capital			
17	वाणिज्यकर विभाग Commercial Tax Department	राजस्व/Revenue	39100000		39100000
		पूंजी/Capital			
18	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग Food, Public Distribution and Consumer Affairs Department	राजस्व/Revenue	2465000		2465000
		पूंजी/Capital			
19	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग Forest, Environment and Climate Change Department	राजस्व/Revenue	16815000		16815000
		पूंजी/Capital			
20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग Health, Medical Education and Family Welfare Department	राजस्व/Revenue	1343413000		1444313000
		पूंजी/Capital	100900000		
22	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग) Home, Jail and Disaster Management Department (Home Division)	राजस्व/Revenue	4459640000		4459640000
		पूंजी/Capital			
23	उद्योग विभाग Industries Department	राजस्व/Revenue	148269000		148269000
		पूंजी/Capital			
24	सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग Information and Public Relation Department	राजस्व/Revenue	802706000		802706000
		पूंजी/Capital			
25	कोषागार एवं सांस्थिक वित्त Treasury & Institutional Finance	राजस्व/Revenue	1116000		1116000
		पूंजी/Capital			

26	श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग Labour, Employment, Training and Skill Development Department	राजस्व/Revenue	15893000		15893000
		पूंजी/Capital			
27	विधि विभाग Law Department	राजस्व/Revenue	5695000		5695000
		पूंजी/Capital			
28	झारखण्ड उच्च न्यायालय High Court of Jharkhand	राजस्व/Revenue		<b>373900000</b>	373900000
		पूंजी/Capital			
29	खान एवं भूतत्व विभाग Mines and Geology Department	राजस्व/Revenue	102000		102000
		पूंजी/Capital			
30	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग) Scheduled Tribe, Scheduled Caste, Minority and Backward Class Welfare Department (Minorities Welfare Division)	राजस्व/Revenue	4440000		4440000
		पूंजी/Capital			
31	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य प्रभाग) Cabinet Secretariat and Vigilance Department (Parliamentary Affairs Division)	राजस्व/Revenue	1200000		1200000
		पूंजी/Capital			
32	विधान सभा Legislative Assembly	राजस्व/Revenue	100000		100000
		पूंजी/Capital			
34	झारखण्ड लोक सेवा आयोग Jharkhand Public Service Commission	राजस्व/Revenue		<b>354010000</b>	354010000
		पूंजी/Capital			
35	योजना एवं विकास विभाग Planning and Development Department	राजस्व/Revenue	5500000		5500000
		पूंजी/Capital			
36	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग Drinking Water and Sanitation Department	राजस्व/Revenue	550000		344550000
		पूंजी/Capital	344000000		
38	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग) Revenue, Registration and Land Reforms Department (Registration Division)	राजस्व/Revenue	2600000		2600000
		पूंजी/Capital			
39	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) Home, Jail and Disaster Management Department (Disaster Management Division)	राजस्व/Revenue	1664030000		1664030000
		पूंजी/Capital			

40	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग) Revenue, Registration and Land Reforms Department (Revenue and Land Reforms Division)	राजस्व/Revenue	31547200		31547200
		पूंजी/Capital			
41	पथ निर्माण विभाग Road Construction Department	राजस्व/Revenue	1550000		1701550000
		पूंजी/Capital	1700000000		
42	ग्रामीण विकास विभाग Rural Development Department	राजस्व/Revenue	942899000		1942899000
		पूंजी/Capital	1000000000		
43	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (तकनीकी शिक्षा प्रभाग) Higher and Technical Education Department (Technical Education Division)	राजस्व/Revenue	195200000		195200000
		पूंजी/Capital			
44	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग School Education and Literacy Department	राजस्व/Revenue	2220000		2220000
		पूंजी/Capital			
45	सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग Information Technology and e-Governance Department	राजस्व/Revenue	3676000		3676000
		पूंजी/Capital			
46	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग) Tourism, Art Culture, Sports and Youth Affairs Department (Tourism Division)	राजस्व/Revenue	11495000		11495000
		पूंजी/Capital			
47	परिवहन विभाग Transport Department	राजस्व/Revenue	1000		1000
		पूंजी/Capital			
48	नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) Urban Development and Housing Department (Urban Development Division)	राजस्व/Revenue	14325000		14325000
		पूंजी/Capital			
49	जल संसाधन विभाग Water Resources Department	राजस्व/Revenue	386930000		686930000
		पूंजी/Capital	300000000		
51	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग) Scheduled Tribe, Scheduled Caste, Minority and Backward Class Welfare Department (Scheduled Tribe, Scheduled Caste and Backward Class Welfare Division)	राजस्व/Revenue	523813000		523813000
		पूंजी/Capital			

52	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग) Tourism, Art Culture, Sports and Youth Affairs Department (Art Culture, Sports and Youth Affairs Division)	राजस्व/Revenue	192425000		192425000
		पूंजी/Capital			
54	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग) Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Dairy Division)	राजस्व/Revenue	2934000		2934000
		पूंजी/Capital			
55	ग्रामीण कार्य विभाग Rural Works Department	राजस्व/Revenue	266000		266000
		पूंजी/Capital			
56	पंचायती राज विभाग Panchayati Raj Department	राजस्व/Revenue	251635000		251635000
		पूंजी/Capital			
57	नगर विकास एवं आवास विभाग (आवास प्रभाग) Urban Development and Housing Department (Housing Division)	राजस्व/Revenue	100000		100000
		पूंजी/Capital			
58	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग) School Education and Literacy Department (Secondary Education Division)	राजस्व/Revenue	3018957000		3018957000
		पूंजी/Capital			
59	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग) School Education and Literacy Department (Primary and Adult Education Division)	राजस्व/Revenue	2453018000		2728018000
		पूंजी/Capital	275000000		
60	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग Women, Child Development and Social Security Department	राजस्व/Revenue	63905583000		63905583000
		पूंजी/Capital			
<b>योग /Total</b>		राजस्व/Revenue	<b>110684863200</b>	<b>1855236800</b>	<b>112540100000</b>
		पूंजी/Capital	<b>4264400000</b>	<b>170000000</b>	<b>4434400000</b>
<b>महायोग / Grand Total</b>			<b>114949263200</b>	<b>2025236800</b>	<b>116974500000</b>



### उद्देश्य और हेतु

राज्य की संचित-निधि से कोई राशि भारत का संविधान के अनुच्छेद-205 के उपबंधों के अधीन निमित्त विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं। ऐसी विधि में यह व्यवस्था रहेगी कि :-

(क) विधान-सभा द्वारा किये गये अनुदानों, और

(ख) राज्य की संचित-निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित कुल राशि राज्य की संचित-निधि में से विनियोजित की जायेगी ।

वर्तमान विधेयक का उद्देश्य है कि राज्य की संचित-निधि में से 11697,45,00,000 (ग्यारह हजार छः सौ संतानवे करोड़ पैंतान्नीस लाख) रुपये की राशि का शोधन और विनियोग प्राधिकृत किया जाय, ताकि इक्कीसवीं मार्च, 2025 को समाप्त होनेवाले वर्ष में शोधन के दौरान आनेवाले भारों की पूर्ति की जा सके ।

( राधा कृष्ण किशोर )  
भार-साधक सदस्य ।